

इकाई-01-प्राप्तियां में एक सप्ताह के अंदर जमा करने हेतु दण्ड अधिरोपित किया जाता है। साथ ही Food Safety Officer एवं श्री पंकज कुमार चिरनिया, मेसर्स गृह लक्ष्मी सेल्स & मार्केटिंग, बी-06, फेज-11 आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र, जिला- सरायकेला - खरसावाँ को आदेश दिया जाता है कि संबंधित खाद्य पदार्थ का नियमानुसार निष्पादित हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

अभिलेख दिनांक- 26/08/2023 को उपस्थापित करें।

अपर उपायुक्त-सह-  
न्याय निर्णयन पदाधिकारी  
सरायकेला-खरसावाँ।

26.08.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रतिवादी श्री पंकज कुमार चिरनिया, मेसर्स गृह लक्ष्मी सेल्स - मार्केटिंग, बी-06, फेज-11 आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र, जिला- सरायकेला - खरसावाँ के द्वारा ई-चालान GRN No- 2318957070, दिनांक 26-08-2023 के द्वारा शीर्ष 021004104010101 में दण्ड की राशि 5,000/- (पांच हजार) रु0 जमा कर दी गई है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित।

अपर उपायुक्त-सह-  
न्याय निर्णयन पदाधिकारी,  
सरायकेला-खरसावाँ।

अपर उपायुक्त -सह-  
न्याय निर्णयन पदाधिकारी  
सरायकेला-खरसावाँ।